

फाइल सं. ए.12018/43/2018-लेप

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा, फिजियोथेरेपिस्ट समूह 'ख' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनाक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), आस्का, ओडिशा, में फिजियोथेरेपिस्ट समूह 'ख' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110008 या ई-मेल पर भेज सकते हैं।

  
(बैद्यनाथ प्रसाद)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली

दिनांक 6-1-2018

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ..... 2019

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, (फिजियोथेरेपिस्ट) समूह 'ब', अराजपत्रित पद, भर्ती नियमावली, 2002, का उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा में फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, ओडिशा फिजियोथेरेपिस्ट (समूह-'ब' पद) भर्ती नियम, 2019 होगा।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ लगी अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता- वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
फिजियोथेरेपिस्ट	01* (2019)	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अमंत्रालयी	बेतन मैट्रिक्स (35400-112400/-) में स्तर-6	लागू नहीं	<p>30 वर्ष से अधिक न हो।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पणी 1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अन्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम राज्य, लद्दाख संघ राज्य ध्येत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंवा जिले के पांगी उप-खंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ शामिल प्रदेश में अन्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी।)</p>	<p>क (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिग्री या समतुल्य योग्यता</p> <p>(ii) फिजियोथेरेपी में एक वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव;</p> <p>या</p> <p>व (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा</p> <p>(ii) फिजियोथेरेपी में तीन वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव;</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अन्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, यदि अनुसूचित जातियों/ अनुमूचित जनजातियों के अन्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अन्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकती हैं।</p>	लागू नहीं	दो वर्ष	एमएमसी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर।

<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संख्या।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में मंथ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>वे अधिकारी जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ हैं;</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में स्तर 6 में या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात इसी ग्रेड में दी गई 5 वर्ष की सेवा; और</p> <p>(ख) जिसने मीठी भर्ती के लिए स्तंभ 7 के नीचे विहित शैक्षणिक अहंताएँ धारित की हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित अन्य वाह्य संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुए, सामान्य तौर पर तीन वर्ष में अधिक नहीं होगी)</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-मीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक न हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उप महानिदेशक (कुष्ठ रोग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष</li> <li>निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य</li> <li>चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का - सदस्य</li> <li>उक्त क्षेत्र में केंद्र या राज्य सरकार के किसी कार्यालय में गजपत्रित अधिकारी - सदस्य</li> </ol>	<p>(12)</p> <p>वाग् नहीं।</p> <p>(13)</p>

फा.सं.ए.12018/43/2018-कुष्ठ

(वैद्यनाथ प्रसाद)  
अवर मन्त्री, भारत सरकार